Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

अप्रैल (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाया 3
- झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान के लिये योजनाएँ 4
- झारखंड समेत कई राज्यों में हीटवेव का प्रकोप 4
- सिंहभूम के माओवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार मतदान 5
- झारखंड में मंडा महोत्सव 6
- राष्ट्रीय वर्ड पावर चैम्पियनशिप 7
- पहाड़िया जनजाति 8
- झारखंड मनरेगा घोटाले में संपत्तियाँ ज़ब्त 8
- झारखंड मुक्ति मोर्चा की याचिका पर नोटिस 9
- बर्ड फ्लू का प्रकोप 10

नोट :

झारखंड

झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड सरकार ने **पूर्वी सिंहभूम ज़िले के पोटका क्षेत्र** में एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्य बिंदु:

- कॉलेज की स्थापना आदिवासियों, स्वदेशी लोगों, किसानों, मज़दूरों, SC/ST और अल्पसंख्यकों सहित सभी **वर्गों तथा समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- राज्य की समृद्ध **जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास** और प्रचार-प्रसार के लिये प्राथमिक विद्यालयों से इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जायेगी।
  - संताली, **मुंडारी, उराँव** समेत जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी।
  - सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से **बांग्ला और उड़िया भाषा** की पढ़ाई शुरू करना है।
- सरकार का मानना है कि जब युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी राज्य की दशा और दिशा बदलेगी तथा अधिक लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे।
- सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उनकी शिक्षा के वित्तपोषण में भी सहायता कर रही है।
  - इस योजना के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री के लिये आवश्यकतानुसार **शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।**
  - यह **आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के उन बच्चों को 100% छात्रवृत्ति** भी दे रहा है जो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं।
  - किसानों-मज़दूरों के बच्चों के साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, **इसके लिये छात्रवृत्ति की राशि तीन गुना बढ़ा दी गई है।**
- धन के अभाव में छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिये राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है।
- प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

- यह योजना 14 **मार्च** 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
- विद्यार्थियों को **4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट** चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
- लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। **लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।**
- जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।

झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान के लिये योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड सरकार ने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये योजनाएँ शुरू कीं। उसका दावा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहाँ सर्वजन पेंशन योजना लागू की गयी है।

मुख्य बिंदु:

- पिछले चार वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को **सर्वजन पेंशन योजना** से जोड़ने का कार्य किया है।
  - राज्य सरकार के मुताबिक **ज़िला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों** की सहायता से लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया, जो हर गाँव तथा हर घर तक योजनाओं का पुलिंदा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं।
- सरकार ने अबुआ आवास योजना जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को भी धरातल पर उतारने का कार्य किया है।
  - इसके तहत प्रदेश के **20 लाख पात्र परिवारों को पक्के मकान दिये जायेंगे।**
- हाल ही में किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये **धनबाद ज़िले में सिंदरी यूरिया फैक्ट्री** का उद्घाटन किया गया।
- सरकार खेतों तक पूरे वर्ष पाइपलाइन के ज़रिए सिंचाई का जल पहुँचाने पर कार्य कर रही है।
- रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये, झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये एक कानून बनाया है कि राज्य के भीतर स्थापित **निजी औद्योगिक संस्थानों में 75% भर्ती** स्थानीय लोगों द्वारा की जाए।
- राज्य में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये **रोज़गार सृजन योजना** भी संचालित की गई है।

सर्वजन पेंशन योजना

- इसे **6 मार्च 2024** को झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से **60 वर्ष से अधिक आयु** के गरीब नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन **1000 रुपए** की होगी जो **हर महीने की 5 तारीख** को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
- राज्य के सभी **पात्र विधवाओं, दिव्यांगों एवं वृद्धजनों** को पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
  - सरकार **अब राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देगी।**
  - **SC/ST समुदाय के पुरुषों** को भी 50 वर्ष की आयु से **पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।**

झारखंड समेत कई राज्यों में हीटवेव का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो-तीन दिनों में कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ हिस्सों में लू/हीटवेव चलने का पूर्वानुमान किया है।

मुख्य बिंदु:

- मौसम विभाग ने **अप्रैल-जून 2024 के दौरान** देश के अधिकांश क्षेत्रों में **शुष्क गर्मी** का पूर्वानुमान किया है।
  - इस अवधि के दौरान 10 से 20 दिनों तक चलने वाली हीटवेव की उच्च संभावना है।
- अप्रैल के दौरान **प्री-मानसून वर्षा** का प्रदर्शन मुख्य रूप से **तटीय भारत, पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत** में औसत से नीचे रहेगा।
  - वर्षा का पूर्वानुमान बताता है कि फरवरी 2024 से इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम जारी रहेगा।
  - वर्ष 2024 की गर्मी के मौसम में शुष्कता और जल की कमी बढ़ जाएगी।

नोट :

हीटवेव:

- हीटवेव, **चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती** है जो **मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण** और **अर्थव्यवस्था** पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीटवेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो **हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र** हो गई है
- **भारत में हीटवेव घोषित करने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड:**
  - **यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीटवेव की स्थिति माना जाता है।**
  - **यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को लू** की स्थिति माना जाता है
  - यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान **40°C से कम या उसके बराबर है,** तो सामान्य तापमान से **5°C से 6°C की वृद्धि को हीटवेव की स्थिति** माना जाता है।
  - इसके अलावा **7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव की स्थिति** माना जाता है।
  - यदि **किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है,** तो सामान्य तापमान से **4°C से 5°C की वृद्धि को हीटवेव की स्थिति माना जाता है।** इसके अलावा **6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव** की स्थिति माना जाता है।
  - इसके **अतिरिक्त यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है, तो हीटवेव घोषित किया जाता है।**

सिंहभूम के माओवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार मतदान

चर्चा में क्यों ?

सिंहभूम के माओवादी गढ़ वाले इलाकों में पहली बार या दशकों के लंबे अंतराल के बाद मतदान होगा, क्योंकि एशिया के सबसे घने साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिये मतदान टीमों और सामग्रियों को हेलीकॉप्टरों से पहुँचाया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- **स्थिति में सुधार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम देश के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में से एक बना हुआ है। यहाँ वर्ष 2023 में 46 माओवादी-संबंधी घटनाएँ भी देखी गईं, जिनमें 22 मौतें हुईं।**
  - **माओवाद माओत्सेतुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक सिद्धांत है।**
- **थलकोबाद और लगभग दो दर्जन अन्य गाँवों को पहले 'मुक्त क्षेत्र' करार दिया गया था, लेकिन प्रशासन ऑपरेशन एनाकोंडा सहित सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर अभियानों के माध्यम से अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सफल रहा।**
  - **ऑपरेशन एनाकोंडा वर्ष 2011 में चाईबासा ज़िले के सारंडा वन क्षेत्र में माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ शुरू किया गया था।**
  - **इस क्षेत्र को माओवादियों द्वारा एक मुक्त क्षेत्र के रूप में दावा किया जाता है और यह उनके पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।**
- **प्रशासन नए तरीकों का सहारा ले रहा है, जिसमें लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिये 100 फीट की ऊँचाई पर एक विशाल आकाश गुब्बारा लगाना तथा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) के तहत 1,284 'चुनाव पाठशाला' चलाना शामिल है।**

- रोबोकेरा, बिंज, थलकोबाद, जराइकेला, रोआम, रेंगराहातु, हंसाबेड़ा और छोटानागरा जैसे हेलिकॉप्टरों से छोड़े गए कर्मियों तथा सामग्रियों द्वारा 118 दूरस्थ बूथ स्थापित किये जाएंगे।

वामपंथी उग्रवाद (LWE)

- वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE), जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP)

- यह वर्ष 2009 में मतदाता शिक्षा के लिये ECI के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने तथा एक निर्णय एवं नैतिक विकल्प प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करके एक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

सारंडा: एशिया का सबसे घना साल वन

- यह झारखंड-ओडिशा सीमा पर स्थित है और बड़ी संख्या में पशु, पक्षी तथा सरीसृप प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- सारंडा शब्द का अर्थ हाथी है और हाथियों की बहुत बड़ी जीवसंख्या के निवास के कारण इस वन का नाम सारंडा पड़ा है

झारखंड में मंडा महोत्सव

चर्चा में क्यों?

झारखंड में सप्ताह भर चलने वाले 'मंडा' महोत्सव के आखिरी दिन, बड़ी संख्या में भक्त उत्सव में भाग लेने के लिये सड़कों पर एकत्र हुए।

- 'भोक्ता' के नाम से जाना जाने वाला एक विशेष व्यक्ति 25 फीट की ऊँचाई पर खड़ा हुआ और नीचे भीड़ पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की।

मुख्य बिंदु:

- आदिवासियों ने अच्छी बारिश और भरपूर फसल के लिये देवताओं को प्रसन्न करने के लिये एक सदियों पुराना वार्षिक अनुष्ठान मंडा पूजा मनाया।
  - यह सामान्यत: वसंत ऋतु के दौरान होता है और कृषि चक्र की समाप्ति का प्रतीक है।
- राँची के चुटिया क्षेत्र में, मंडा पूजा समिति ने शिव मंदिर में महोत्सव आयोजित किया, जिसमें राँची नगर निगम के डिप्टी मेयर ने भाग लिया।
  - उत्सव के दौरान, अनुयायी सात से नौ दिनों तक उपवास रखने के बाद आग पर चलने और अपनी पीठ से जुड़े बाँस के ढाँचे से स्वयं को उल्टा लटकाने में भाग लेते हैं।
  - मंडा महोत्सव का एक विशिष्ट पहलू 'भोक्ता' की भूमिका है, सामान्यत: पुरुष भक्त जो पूरे महोत्सव में सख्त उपवास रखते हैं।
  - ये भोक्ता समुदाय के भीतर एक सम्मानित स्थान रखते हैं और त्योहार के समारोहों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
- चुटिया के बाद, यह त्योहार राज्य भर में 500 स्थानों पर मनाया जाता है, जिसमें राजाउलातु, सिड्रोल, तेतरी और हुंडरू बस्ती शामिल हैं।

झारखंड की जनजातियाँ

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या 7,087,068 है जो राज्य की कुल जनसंख्या (26,945,829) का 26.3% है।
- अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण हैं क्योंकि उनमें से 91.7% गाँवों में रहते हैं।
- ST जनसंख्या के ज़िलेवार वितरण से पता चलता है कि गुमला ज़िले में ST का अनुपात सबसे अधिक (68.4%) है।
- लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ज़िलों में कुल जनसंख्या का आधे से ज़्यादा हिस्सा ST का है, जबकि रांची तथा पकौर ज़िलों में 41.8-44.6% आदिवासी जनसंख्या है।
- चतरा (3.8%) से पहले कोडरमा ज़िले (0.8%) में ST जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है।
- झारखंड में 32 आदिवासी समूह हैं:
  - मुंडा
  - संथाल
  - ओरांव
  - खारिया
  - गोंड
  - कोल
  - कांवर
  - सावर
  - असुर
  - बैगा
  - बंजारा
  - बथुडी
  - बेदिया
  - बिंझिया
  - बिरहोर
  - बिरजियाली
  - चेरो
  - चिक-बराइक
  - गोराईट
  - हो
  - करमाली
  - खरवार
  - खोंड
  - किसान
  - कोरा
  - कोरवा
  - लोहरा
  - महली
  - माल-पहाड़िया
  - परहैया
  - सौरिया-पहड़िया
  - भूमिज

राष्ट्रीय वर्ड पावर चैम्पियनशिप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल वर्ड पावर चैम्पियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया। इस राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में आठ राज्यों के प्रतिभागियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनमें से, झारखंड के चार छात्रों ने श्रेणी 2, 3, 4 और 5 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा समग्र चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब अर्जित किया।

मुख्य बिंदु:

- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आठ राज्य थे- झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश।
- झारखंड ने श्रेणी 2 में शीर्ष स्थान हासिल किया, श्रेणी 3 में पाँचवाँ स्थान हासिल किया, श्रेणी 4 में चौथा स्थान हासिल किया और श्रेणी 5 में दूसरा स्थान हासिल किया।

नोट :

- राज्य ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाफ 0.23% के अंतर से प्रतियोगिता जीती, जिन्होंने क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया।
- वर्ड पावर चैम्पियनशिप प्रतियोगिता अमेरिका की लोकप्रिय 'स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन' की तर्ज पर आयोजित की जाती है।
  - यह भारत की एकमात्र अंग्रेज़ी प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाई स्कूलों के छात्रों के लिये आयोजित की जाती है।
  - जिसका उद्देश्य अत्यधिक कठोर 'अंग्रेज़ी साक्षरता कार्यक्रम' में भाग लेने के बाद क्षेत्रीय भाषा स्कूल के छात्रों को अपनी नई अर्जित अंग्रेज़ी प्रतिभा को प्रदर्शित करने हेतु एक विशेष मंच प्रदान करना है।
  - इससे शिक्षकों और छात्रों में समान रूप से अंग्रेज़ी भाषा के प्रति उत्साह एवं उद्देश्य की भावना विकसित होती है।
  - यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष लीप फॉर वर्ड और मैरिको नामक संस्था द्वारा आयोजित की जाती है।

पहाड़िया जनजाति

चर्चा में क्यों?

झारखंड की पहाड़िया जनजाति का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले बैंकों में देशी किस्मों को जमा करके बीज स्वतंत्रता हासिल करना है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2019 में, पाकुड़ और गोड्डा के पहाड़ी ज़िलों में चार समुदाय-आधारित बीज बैंक स्थापित किये गए थे। बैंक 90 गाँवों में 1,350 से अधिक परिवारों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - वे चार पंचायतों के अंतर्गत संचालित होते हैं: बारा पकतरी, बारा सिंदरी, कुंजबोना और कर्मा तरन तथा महिला नेतृत्व वाली समितियों द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं।
- बीज बैंकों में पंजीकरण कराने के लिये सदस्यों को 2.5 किलोग्राम देशी बीज जमा करना होगा। राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
  - बुआई के मौसम के दौरान, समितियाँ मामले-दर-मामले के आधार पर वितरण का निर्णय लेती हैं। अब तक वे 3,679 किलोग्राम बीज वितरित कर चुके हैं।
  - सदस्य वर्तमान में स्टॉक को फिर से भरने के लिये प्रत्येक फसल के बाद 0.5 किलोग्राम बीज प्रदान करते हैं।
- तत्काल मांगें पूरी होने के साथ निवासी अब फसल की पैदावार में सुधार और भोजन में आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पहाड़िया जनजाति

- वे मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में रहते हैं। वे राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी हैं, जिन्हें आज झारखंड के संताल परगना डिवीज़न के रूप में जाना जाता है।
- उन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वे माल्टो बोलते हैं, जो एक द्रविड़ भाषा है।
- वे झूम कृषि करते हैं जिसमें कुछ वर्षों तक कृषि के लिये वनस्पति जलाकर भूमि साफ करना शामिल है।

झारखंड मनरेगा घोटाले में संपत्तियाँ ज़ब्त

चर्चा में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) घोटाले के मामले में आरोपियों की 22.47 लाख रुपए मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है।

मुख्य बिंदु:

जाँच एजेंसी ने झारखंड के खूंटी ज़िले में मनरेगा कार्य में 18 करोड़ रुपए के गबन के संबंध में झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज 16 FIR के आधार पर जाँच शुरू की थी।

- **ED ने वर्ष 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत कई तलाशी ली थीं, जिसके दौरान 19.58 करोड़ रुपए की भारी नकदी बरामद और ज़ब्त की गई थी।**

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA)

- **परिचय:**
  - **यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और धन शोधन से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की ज़ब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।**
  - **यह धन शोधन से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।**
  - **इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।**
- **PMLA के प्रमुख प्रावधान:**
  - **अपराध और दंड: PMLA धन शोधन अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियों के लिये जुर्माना लगाता है। इसमें अपराधियों के लिये कठोर कारावास और जुर्माना शामिल है।**
  - **संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती: अधिनियम धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती की अनुमति देता है। यह इन कार्यवाहियों की निगरानी के लिये एक निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।**
  - **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ: PMLA कुछ संस्थाओं, जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों, को लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने तथा वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।**
  - **नामित प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण: अधिनियम धन शोधन अपराधों की जाँच और अभियोजन में सहायता के लिये एक नामित प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है।**
- **वर्ष 2023 में PMLA, 2002 में संशोधन:**
  - **अपराध से प्राप्त आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण: अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि इसमें अनुसूचित अपराध से संबंधित या समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।**
  - **पुनर्परिभाषित धन शोधन: धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध नहीं था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है। संशोधन का उद्देश्य धन शोधन को एक अलग अपराध मानना है।**

झारखंड मुक्ति मोर्चा की याचिका पर नोटिस

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के लोकपाल द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को पार्टी के नाम पर दो संपत्तियों की जाँच करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य बिंदु:

- **यह आदेश राज्यसभा सांसद के खिलाफ एक शिकायत पर पारित किया गया था। लोकपाल ने CBI को छह महीने के भीतर सांसद से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की जाँच करने का निर्देश दिया था।**

- यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से परे है।

लोकपाल

- परिचय:
  - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संघ के लिये लोकपाल व राज्यों के लिये लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है।
  - ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं।
- कार्य:
  - वे "लोकपाल" का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तथा संबंधित मामलों की जाँच करते हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

- यह भारत की प्रमुख जाँच पुलिस एजेंसी है।
  - यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीक्षण के तहत कार्य करता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
  - हालाँकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच के लिये इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
- इसकी सज़ा दर 65 से 70% तक है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाँच एजेंसियों के बराबर है।

बर्ड फ्लू का प्रकोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राँची में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, के कई मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी किया।

मुख्य बिंदु:

- राज्य की राजधानी में होटवार में क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म में मामलों की पुष्टि होने के बाद मुर्गियों सहित लगभग 4000 पक्षियों को मार दिया गया और सैकड़ों अंडे भी नष्ट कर दिये गए।
- सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का विवरण देने वाले एक आदेश में कहा गया है कि क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म में शेष मुर्गों को मारने का काम आगामी दिनों में किया जाएगा और वैज्ञानिक तरीकों से उनका निपटान किया जाएगा।
- अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संक्रमण का पता लगाने और सफाया करने के लिये घटना केंद्र से 1 किलोमीटर के दायरे में एक सर्वेक्षण करें। उन्हें 10 किलोमीटर क्षेत्र का नक्शा बनाकर उसे निगरानी क्षेत्र के रूप में चिह्नित करने को भी कहा गया है।
- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य से इसके प्रसार को रोकने के लिये सभी उपाय करने को कहा है।

एवियन इन्फ्लूएंज़ा

- एवियन इन्फ्लूएंज़ा, जिसे आमतौर पर 'बर्ड फ्लू' भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों तथा घरेलू मुर्गीपालन को प्रभावित करता है।

नोट :

- वर्ष 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंज़ा H5N1 वायरस सर्वप्रथम दक्षिणी चीन में घरेलू जलपक्षियों में पाया गया था। इस वायरस का नाम A/गूज़/गुआंगडोंग/1/1996 (A/goose/Guangdong/1/1996) है।
- मनुष्यों में संचरण और संबंधित लक्षण:
  - H5N1 एवियन इन्फ्लूएंज़ा के मानव मामले कभी-कभी होते हैं, लेकिन संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना मुश्किल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जब लोग इससे संक्रमित होते हैं तो मृत्यु दर लगभग 60% होती है।
    - यह बुखार, खाँसी और मांसपेशियों में दर्द सहित हल्के फ्लू जैसे लक्षणों से लेकर निमोनिया, साँस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर श्वसन समस्याओं तथा यहाँ तक कि कुप्रभावित मानसिक स्थिति एवं दौरे जैसी संज्ञानात्मक समस्याओं तक विस्तृत हो सकता है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :